

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-12/2023

पटना, दिनांक:—

श्री शिवम प्रकाश, राज्य-कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 09.07.2025 से 02.08.2025 तक 25 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक 03.08.2025 एवं 01.09.2025 तक 30 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री प्रकाश के अवकाश लेखा में (25-25=00) शून्य उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापक:—6/अ0-03-12/2023 148 पटना, दिनांक:—13/01/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शिवम प्रकाश, राज्य-कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।